क्रम-संख्या-110

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 मार्च, 2008

फाल्गुन 24, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 520 / 79-वि-1–08-1(क)11-2008

लखनऊ, 14 मार्च, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 14 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायगा।

(2) यह दिनांक 1 जून, 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 में धारा 5 में उपधारा (1) में शब्द और अंक "और 1 जून, 2005 से एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" के स्थान पर शब्द और अंक "और 1 जून, 2005 से एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और 1 जून, 2008 से दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

राज्य विधान मण्डल के सदस्य रेल यात्रा हेतु एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक के रेल कूपन पाने के हकदार हैं। राज्य के विधायकों की निरन्तर माँग को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे कूपनों की वार्षिक सीमा में वृद्धि करना लोक हित में समीचीन समझा गया है। अतः उक्त प्रयोजन के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 को संशोधित किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 520(2)/LXXIX-V-1–08-1(Ka)11-2008
Dated Lucknow, March 14, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 14, 2008.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2008

(U.P. ACT NO. 11 OF 2008)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2008.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 1, 2008.

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, in section 5, in sub section (1) *for* the words and figures "and not exceeding one lakh fifty thousand rupees per annum from June 1, 2005" the words and figures "and not exceeding one lakh fifty thousand rupees per annum from June 1, 2005 and not exceeding two lakh rupees per annum from June 1, 2008" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The members of the State Legislature are entitled to get railway coupons not exceeding one lakh fifty thousand rupees per annum for rail travel. In view of the consistent demand of the State Legislators it has been considered expedient in public interest to increase the annual limit of railway coupons. It has therefore been decided to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, for the said purpose..

The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 1187 राजपत्र–(2628)–2008–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 460 सा० विधायी–(2629)–2008–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।